सत्यमेव जयते

भारतीय संसद

श्री एम॰ वेंकैया नायडु
सभापति, राज्य सभा

राज्य सभा: 2017–2022

सिंहावलोकन

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

भारतीय संसद

राज्य सभा : 2017–2022
सिंहावलोकन

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	i - ii
2.	सभापति का दृष्टिकोण	1-3
3.	संदर्भ और परिणाम	4-5
4.	पहुंच	6-18
5.	कार्य-एक नज़र में	19-21
6.	मुद्दे जिन्होंने व्यवधान उत्पन्न किया	22-26
7.	परिणाम	27-35
8.	समितियों का कामकाज	36-39
9.	सभा में भारतीय भाषाओं का प्रयोग	40-42
10.	समितियों का प्रभावीकरण	43-44
11.	महामारी का सामना करना	45-46
12.	कार्यात्मक भूमिका निभाना	47
13.	सभापति के विनिर्णय	48-49
14.	सभापति का चार्टर	50
15.	संविधान में संशोधन	51
16.	राज्य सभा द्वारा पारित प्रमुख विधेयक	52
17.	सुधार और अन्य पहलें	53-56

प्रस्तावना

वर्ष 2017-2022 की अवधि के दौरान पहली बार राज्य सभा के कार्यकरण को समय-समय पर, प्रवृत्ति विश्लेषण और कार्यात्मक संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए, एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा गया, इसका मूल्यांकन किया गया और इसे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है जिससे देश की सर्वोच्च विधायिका के इस अंग के कार्यकरण के प्रति लोगों की समझ में वृद्धि हुई।

सभा के कार्यकरण के हर पहलू, जिसमें इसकी संरचना की गतिशीलता, उत्पादकता, सभा की कार्यवाही में सदस्यों की उपस्थिति और भागीदारी, व्यवधानों की सीमा और सहवर्ती कारण, कार्य की विभिन्न मदों पर लिया गया समय जो कि यह दर्शाता है कि सभा अधिक विचार-विमर्श करने वाली संस्था बन गई है। 2014 में प्रश्नों के समय को मध्याह्न 12.00 बजे स्थानांतरित करने का प्रभाव और इसका उपयोग आदि शामिल हैं, को राज्य सभा के कार्यकरण में सुधार के लिए साक्ष्य आधारित स्थिति को प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित किया गया है।

यह सब माननीय सभापति, श्री एम. वेंकैया नायडु, के दृढ़ विश्वास से संभव हो पाया है कि किसी भी चीज को बदलने के लिए पहले उसे निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। संख्या के आधार पर, माननीय सभापति ने दृढ़ता से क्षमता और वास्तविकता के बीच के अंतर को पाटने का आह्वान किया है। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2022 तक उनकी अध्यक्षता में हुई सभा की बैठकों के दौरान, वह प्रथम पांच सत्रों (244वें से 248वें) की 42.77% की तुलना में अगले आठ सत्रों (249वें से 256वें) के दौरान 82.34% की उत्पादकता बढ़ाकर सभा की कार्यवाही सुधारने में सक्षम रहे हैं।

संसद के 24x7 के कार्यकरण के महत्व को देखते हुए, विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां (डीआरएससी) माननीय सभापति के दिल के करीब रही हैं। उन्होंने नियमित रूप से इनके कार्यकरण की समीक्षा करने में काफी समय और ऊर्जा खर्च की है और इसके परिणामस्वरूप, इन समितियों ने अपने कार्य निष्पादन में नए मानकों को प्राप्त किया है।

माननीय सभापति ने, सदस्यों और सचिवालय के प्रभावी कार्यकरण के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया है और इससे अत्यधिक लाभ हुआ है।

माननीय सभापति, जो कि भारतीय भाषाओं के बड़े प्रशंसक रहे हैं, के प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य सभा की कार्यवाही में भारतीय भाषाओं के प्रयोग और सचिवालय में हिन्दी के प्रयोग में कई गुना वृद्धि हुई है।

यह पहली बार है कि राज्य सभा के सभापति के पांच साल के कार्यकाल के दौरान राज्य सभा के कार्यकरण का एक विस्तृत लेखा-जोखा सुलभ संदर्भ और भावी मार्गदर्शन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह माननीय सभापति की पहुंच और परिणामों का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करता है। ऐसा करने से पहले, माननीय सभापति ने पहली बार, 16वीं लोक सभा के कार्यकाल में 2014-2019 के दौरान राज्य सभा के कार्यकरण पर 13 फरवरी 2019 को सभा में 'रिपोर्ट टू द पीपुल' प्रस्तुत की। सभापति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका विचार है कि राज्य सभा भी, एक विधायिका के रूप में लोगों के प्रति जवाबदेह है।

माननीय सभापति ने, व्यापक पहुंच बनाने के प्रयासों के माध्यम से तथा अतीत से हटकर राज्य सभा के कार्यकरण को पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करके राज्य सभा को लोगों के और अधिक करीब ले जाने में सफलता प्राप्त की है।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन 2017-2022 की अवधि के दौरान राज्य सभा के कार्यकरण को समझने और आने वाले समय के लिए इससे सीख हासिल करने में सभी संबंधितों के लिए बेहद मददगार साबित होगा।

29 जुलाई, 2022

पी.सी. मोदी
महासचिव

सभापति का दृष्टिकोण

- संयुक्त आंध्र प्रदेश विधान सभा में 7 वर्षों और राज्य सभा में 19 वर्षों सहित 26 वर्षों के विधायी अनुभव के पश्चात, श्री एम. वेंकैया नायडु ने 11 अगस्त 2017 को राज्य सभा के सभापति का पदभार ग्रहण किया।

- विधायकों की सोच और तरीकों तथा विधायिकाओं के विभिन्न भागों की रणनीतियों और सीमाओं के प्रति उनकी जागरूकता, परिचालनात्मक राजनीतिक संदर्भ की गहरी समझ और समय-समय पर इसके विकास ने राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके प्रयासों का मार्गदर्शन किया।

- संघीय लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में राज्य सभा की अनूठी भूमिका और महत्व के प्रति जागरूक होने के कारण, श्री वेंकैया नायडु ने सभा के कार्यकरण और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया है।

- सभापति की राय है कि किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए, इस तरह के परिवर्तन हेतु साक्ष्य आधारित उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सभा के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं को आंकना और निर्धारित करना आवश्यक है।

- तदनुसार, सभापति ने पहली बार राज्य सभा, उसकी समितियों और सचिवालय के कार्यकरण के हर पहलू को संख्यांकित करने की शुरुआत की है।

- इस साक्ष्य आधारित प्रयास के द्वारा इनके कार्यकाल के दौरान पिछले कई वर्षों में प्रत्येक सत्र के दौरान सभा की उत्पादकता और राज्य सभा और इसकी सभी समितियों की कार्यवाही में सदस्यों की उपस्थिति, सभा तथा इसकी समितियों की कार्यवाई में विभिन्न दलों और उनके सदस्यों को मिलने वाले अवसरों, कार्य की विभिन्न मदों पर लिया गया समय, भारतीय भाषाओं के प्रयोग आदि में बढ़ोत्तरी हुई।

- प्रत्येक अवसर पर, सभापति ने सभा के कार्यकरण में समग्र रूप से सुधार के लिए कार्यकरण के स्तर को बढ़ाने का आह्वान किया है।

- संसद के 24x7 कार्यकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राज्य सभा की विभाग संबंधित 8 संसदीय स्थायी समितियों और सभा की लगभग एक दर्जन स्थायी समितियों के कार्यकरण में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया है।

- वर्ष 1993, जब विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां बनाई गईं थीं, के बाद पहली बार, सभापति श्री वेंकैया नायडु ने उनके कार्यकरण के मूल्यांकन और नियमित निगरानी की शुरूआत की।

- सभा के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ और समापन पर सभापति के आरंभिक और विदाई उद्गारों, विभिन्न दलों के नेताओं और सदस्यों के साथ नियमित रूप से औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों और अन्य उपयुक्त सार्वजनिक मंचों का, उनकी चिंताओं और सुधार की संभावना को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया गया।

- सभापति ने स्वतंत्रता के बाद से देश में संसदीय लोकतंत्र के संदर्भ में राज्य सभा के कार्यकरण को प्रस्तुत करने का आह्वान किया है और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की उच्च आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता की जोरदार वकालत की है। ।

- राज्य सभा के सभापति के रूप में श्री एम. वेंकैया नायडु के पांच वर्षों के कार्यकाल में राज्य सभा के कार्यकरण में सुधार और स्थिरता, राज्य सभा की समितियों के कार्यकरण में सुधार, 2020 की शुरूआत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से सभा के सत्रों का बाधा रहित संचालन, सदस्यों और सचिवालय के कार्यकरण में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग, औपनिवेशिक प्रथाओं की समाप्ति, अनुसूचित भारतीय भाषाओं के उपयोग में वृद्धि, सभा के कार्यकरण और सचिवालय के प्रशासनिक तंत्र के संबंध में सुधार की पहल, राज्य सभा, इसकी समितियों और सचिवालय के कार्यकरण की नियमित निगरानी आदि पर विशेष ध्यान दिया गया।

- पिछले 25 वर्षों में जहां राज्य सभा के कार्यकरण की उत्पादकता में गिरावट दर्ज की गई, वहीं श्री वेंकैया नायडु की अध्यक्षता में (अप्रैल 2020 तक)

13 पूर्ण सत्रों में से 5 सत्रों में 100% के करीब या उससे अधिक की उत्पादकता दर्ज की गई हालांकि सभापति के रूप में वह इसे और बेहतर करना चाहते थे।

- सभापति, श्री एम. वेंकैया नायडु की अध्यक्षता में राज्य सभा के 13 पूर्ण सत्रों (244वें से 256वें) की कुल उत्पादकता 68.35% रही।
- पहले पांच सत्रों के लिए 42.77% की उत्पादकता की तुलना में, अगले आठ सत्रों के लिए इसका बढ़कर 82.34% हो जाना यह इंगित करता है कि राज्य सभा के कार्यकरण में स्थिरता आ रही है, जैसा कि सभापति ने एक बार समुक्ति की थी।
- सभापति ने सभा की कार्यवाही से संबंधित विभिन्न युक्तियों जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, विशेष उल्लेख और वाद-विवाद में सदस्यों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इनके मानदंडों को सुव्यवस्थित करने हेतु लगातार प्रयास किए हैं।
- राज्य सभा के सभापति के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, श्री एम. वेंकैया नायडु ने सदस्यों से ''सरकार को प्रस्ताव उपस्थित करने दें; विपक्ष को विरोध करने दें और सभा को कार्य निपटाने दें'' तथा ''वाद-विवाद करें; चर्चा करें और निर्णय करें''; व्यवधान उत्पन्न न करें; के दो सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने का आग्रह किया है।

संदर्भ और परिणाम

- किसी भी संस्थान की कार्यप्रणाली परिचालन संदर्भ, उसके विकास और आंतरिक गतिशीलता पर निर्भर करती है।
- राज्य सभा की प्रभावशीलता इसकी संरचना और राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है जो इसके संचालन का आधार बनाती है।
- पिछली सदी के 80 के दशक के अंत के वर्षों में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत के बाद से भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है।
- 1952 में राज्य सभा के अस्तित्व में आने के 70 वर्षों के दौरान, लगभग 40 वर्षों तक उस समय की सरकारों के पास सभा में बहुमत नहीं था जिसमें लगातार पिछले 32 वर्ष शामिल हैं।
- वर्ष 1978 से, जब से राज्य सभा के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में डेटा रखा जाना आरंभ हुआ, सभा ने वर्ष 1994 तक 17 वर्षों में से 16 वर्षों के लिए शत-प्रतिशत निर्धारित बैठक के समय में या उससे अधिक समय तक कार्य किया है।
- अगले 27 वर्षों के दौरान, वर्ष 2021 तक, सभा की वार्षिक उत्पादकता वर्ष 1998 और वर्ष 2009 में केवल दो बार 100% रही है।
- 1991-94 के दौरान, हालांकि उस समय की सरकार के पास राज्य सभा में बहुमत नहीं था, सभा की वार्षिक उत्पादकता 100% से अधिक रही। 1995 से इसमें गिरावट शुरू हुई।
- 1995-97 के दौरान सभा की वार्षिक उत्पादकता 95% रही।
- 1998-2003 के दौरान, राज्य सभा ने मूल रूप से निर्धारित बैठक के समय के 90% से अधिक समय तक कार्य किया।

- अगले 10 वर्षों, 2004–2013 की अवधि के दौरान, राज्य सभा ने मूल रूप से निर्धारित बैठक के समय के लगभग 80% समय तक कार्य किया और यह प्रचलन 2017 तक जारी रहा।
- ये आंकड़े उस संदर्भ को दर्शाते हैं जिसमें अगस्त, 2017 में श्री एम. वेंकैया नायडु ने राज्य सभा की अध्यक्षता ग्रहण की थी।
- वर्ष 2014–2021 के दौरान राज्य सभा की उत्पादकता 74% रही।
- वर्ष 2018 में राज्य सभा ने अभी तक की सबसे कम 40% की उत्पादकता दर्ज की।
- सभापति, श्री एम. वेंकैया नायडु की अध्यक्षता में 13 सत्रों में से, पहले पांच सत्रों की उत्पादकता 42.77% रही और अगले आठ सत्रों के लिए यह बढ़कर 82.34% हो गई।
- पिछले 8 सत्रों (249वें से 256वें) की उत्पादकता 2014–2021 की 8 वर्ष की अवधि के दौरान 74% के औसत से काफी अधिक रही है।

पहुँच

- पिछले 25 वर्षों में राज्य सभा की घटती उत्पादकता के संदर्भ में, सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु, ने अपने कार्यकाल के दौरान सभा के कक्ष के भीतर और बाहर दोनों जगह सभा के नेताओं और सदस्यों तक व्यापक पहुँच बनाकर इसे सुधारने के लिए सतत प्रयास किए हैं।

- श्री वेंकैया नायडु ने समय-समय पर सभा के प्रत्येक सत्र के लिए अपने आंरभिक और विदाई उद्‌गारों, दोनों में सभा के कार्यकरण को अभिलिखित करने पर बल दिया और संभावित तथा मौजूदा कार्य निष्पादन के बीच के अन्तर को इंगित करते हुए सदस्यों को सभा के उपलब्ध समय का उत्पादक रूप से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब भी सभा का कार्यकरण अच्छा चला तब उन्होंने सदस्यों की सराहना की और जब भी सभा की उत्पादकता कम हुई तो उन्होंने अपनी चिंता को छिपाया भी नहीं। यह उनका एक सतत प्रयास रहा है।

- उनके प्रयासों को नीचे दर्शाया गया है:

  ''हमारी लोकतांत्रिक राजनीति विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न विचारों और चिंतनों को फलने-फूलने देती है। किंतु, प्रतिकूल राजनीति का संसद के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, जो बदले में हमारे राष्ट्र की प्रगति को प्रभावित करता है। हमें एक साथ काम करना चाहिए, हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें एक साथ चर्चा और वाद-विवाद करना चाहिए और एक साथ ही समाधान करना चाहिए।''

  – 11 अगस्त, 2017 को पदभार ग्रहण करने पर
  राज्य सभा में श्री एम. वेंकैया नायडु

सभापति, श्री वेंकैया नायडु, ने जिन 13 पूर्ण सत्रों की अध्यक्षता की उनमें से प्रत्येक में उन्होंने सदस्यों के दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि वे राज्य सभा के कार्यकरण में विशिष्ट बदलाव लाएं।

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्‌गार	विदाई उद्‌गार
244	सरकार विपक्ष के दृष्टिकोण के समायोजन का प्रयास करेगी और साथ ही विपक्ष विधायी कार्य के संचालन और अन्य मुद्दों को उठाने के लिए सभा के प्रभावी कार्यकरण को सक्षम बनाएगा। – 15 दिसम्बर, 2017 को	सभापति के रूप में, यह मेरे लिए पहला पूर्ण सत्र रहा है। जो हुआ उससे बेहतर हो सकता था। आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यद्यपि संसद एक राजनीतिक संस्था है, तथापि यह राजनीति का ऐसा विस्तार नहीं हो सकती है जहां गहरी फूट और कटुता भरी हो। यह बहुत ही असहजता से भरी बात है कि सभा ने 41 घंटे के कार्यकरण की अवधि की तुलना में लगभग 34 घंटे के मूल्यवान कार्य समय को खो दिया है। हालाँकि, हम सभी 15 वर्षों के लम्बे समय बाद 2 जनवरी, 2018 को सभी तारांकित प्रश्नों पर विचार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली सभा के संबंध में सकारात्मक मीडिया रिपोर्टों को लेकर प्रसन्न थे। –5 जनवरी, 2018 को
245		इस महत्त्वपूर्ण संसदीय संस्था के जनादेश और इसकी जिम्मेदारियों की पूरी तरह से अवहेलना करने

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्गार	विदाई उद्गार
		और अवसरों को गंवाने के कारण यह सत्र बिल्कुल भी स्मरणीय नहीं रहा। महत्त्वपूर्ण आम बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। इस दौरान उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित करने के अतिरिक्त और कोई विधायी कार्य नहीं किया गया और उस पर भी चर्चा नहीं की जा सकी। केवल 45 घंटे के कार्यकरण को छोड़कर इस सभा का 124 घंटे से अधिक का मूल्यवान समय व्यवधानों के कारण नष्ट हुआ है। मैं यह देखकर व्यथित हूँ कि सभा के विभिन्न वर्गों के बीच सम्प्रेषण पूरी तरह से टूट गया जो लम्बे समय तक चले गतिरोध का कारण बना और जिसने इस महत्त्वपूर्ण सत्र को बर्बाद कर दिया। केवल आशा ही वह डोर थी जिसने हम सभी को बांधे रखा है और जब हम अगली बार पुनः समवेत होंगे तो बेहतर वातवरण की आशा करते हैं। –6 अप्रैल, 2018 को
246	आप में से कुछ ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कुछ अग्रणी समाचार पत्रों ने अपने संपादकीय लेखों में संसद के कार्यकरण की	संसद का यह मानसून सत्र 74% से अधिक उत्पादकता के साथ पिछले दो सत्रों से हट कर नयी उछाल लेकर आया है जो पिछले

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्‌गार	विदाई उद्‌गार
	स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इस बार एक उत्पादक सत्र सुनिश्चित करके सभी संबंधित व्यक्तियों से स्थिति में सुधार करने का आग्रह किया है। 8 राज्यों में (अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा) किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 1.75% लोगों ने राजनीतिक दलों में विश्वास व्यक्त किया और केवल 36.60% लोगों को संसद में विश्वास है। यदि लोगों को संसद और राजनीतिक दलों में विश्वास और भरोसा नहीं है, तो हमें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम लोगों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने हेतु स्थिति में सुधार कर सकते हैं। मैं सभा के सभी वर्गों से हार्दिक आग्रह करता हूँ कि व्यवधान उत्पन्न करने हेतु 'षडयन्त्र' रचने के बजाय सुविचारित बहस को करने की युक्ति अपनाएं। –17 जुलाई, 2018 को सर्वदलीय नेताओं की बैठक के दौरान	बजट सत्र की तुलना में तीन गुना अधिक है और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। इस सत्र के दौरान विधायी कार्य-निष्पादन पिछले दो सत्रों को मिलाकर कार्य-निष्पादन का 140 प्रतिशत रहा है। विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मेरी दैनिक बैठकों के दौरान, कुछ नेताओं ने कई बार कहा कि सभा में जो कुछ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे लेकर मैं बहुत भावुक और संवेदी हो जाता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं सभा के भीतर जो कुछ भी होता है, उसे मैं पूर्वानुभव के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता। व्यवधानों का तौर-तरीका गंभीर चिंता का विषय है और मुझे खुशी है कि इस बार एक स्पष्ट परिवर्तन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इसमें और सुधार होगा और आगे ऐसा ही रहेगा। –10 अगस्त, 2018 को

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्गार	विदाई उद्गार
247	---	इस सत्र के दौरान सभा केवल 27 घंटे ही चल सकी जबकि व्यवधानों के कारण 78 घंटे से अधिक समय बर्बाद हो गया। सत्र में नियमित और निरंतर व्यवधान होते रहे जिसके कारण सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने और प्रश्नों के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही की मांग करने के अवसर से वंचित हो गये। -9 जनवरी, 2019 को
248	आज से प्रारम्भ हो रहा बजट सत्र हमारे गणतंत्र के 71 वें वर्ष में पहला सत्र है। गणतंत्र के ऊँचे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किसी भी लोकतंत्र की सफलता गणतंत्र के स्तंभों का निर्माण करने वाली विभिन्न संस्थाओं के कार्यकरण की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। मैं सभा के सभी वर्गों से यह आग्रह करता हूँ कि वे इस अवसर की भावना से मार्गदर्शन प्राप्त करें और सभा के उचित कार्यकरण को सक्षम बनाकर एक उचित संदेश दें। चूंकि देश आम चुनावों	मैं भारी मन से यह कहना चाहता हूँ कि यह छोटा लेकिन महत्त्वपूर्ण बजट सत्र पुन: व्यर्थ साबित हुआ। उपलब्ध 48 घंटों में से 44 घंटे व्यवधानों के कारण नष्ट हो गए हैं। यह केवल उस 'दुष्क्रियात्मक रीति' को पुष्ट करता है जो पिछले पाँच वर्षों में स्पष्ट रही है। समय आ गया है कि सभा के सभी वर्गों के लिए एक 'सामूहिक अंतर्चेतना' विकसित की जाए ताकि प्रभावी कार्यकरण संभव हो सके। राज्य सभा सर्वोच्च विधायिका के द्वितीय सभा के रूप में भी लोगों के प्रति

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्‌गार	विदाई उद्‌गार
	की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हमें सभा के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है। इसके विपरीत, सभा के सभी वर्गों को इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभा पटल पर गरिमापूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की जरूरत है। –31 जनवरी 2019 को सर्वदलीय नेताओं की बैठक में	जवाबदेह है। शीघ्र ही होने वाले आम चुनावों से पहले यह अंतिम सत्र होने के कारण, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि यह सम्मानित सभा अपनी भूमिका और लोगों की अपेक्षाओं पर किस सीमा तक खरी उतरी। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम (गत पाँच वर्षों में) क्या कर पाये हैं। साक्ष्य बताते हैं कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। जून 2014 से, राज्य सभा ने आज तक 18 सत्र और 329 बैठकें कीं और केवल 149 विधेयकों को पारित किया जो 2009–14 के दौरान पारित 188 विधेयकों से 39 विधेयक कम हैं। इस सत्र और पिछले सत्र में सभा के कुछ वर्गों द्वारा इस प्रतिष्ठित सभा को 'निष्क्रिय' होने पर मजबूर करने के प्रयासों में वृद्धि हुई है। मैंने सभा के सामान्य कार्यकरण को सक्षम करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मैं नियमित रूप से विभिन्न दलों के नेताओं से बात कर रहा हूँ किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पीड़ा का किसी पर कोई असर नहीं हुआ है। पिछले पाँच वर्षों में कुल 18 सत्रों की औसत उत्पादकता लगभग 60% रही है। –13 फरवरी 2019 को

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्‌गार	विदाई उद्‌गार
249	मैं बार–बार सभा की कार्यवाही में व्यवधान आने और इस खराब स्थिति के कारण उत्पन्न नकारात्मक धारणा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता रहा हूँ। प्रत्येक प्रश्नकाल की हानि का अर्थ है 40 सदस्यों द्वारा नीति, कार्यान्वयन और शासन के लगभग 8 मुद्दों पर सरकार से उत्तर प्राप्त करने के अवसर की हानि होना। प्रत्येक शून्यकाल की हानि का अर्थ है 15 सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दों को उठाने से वंचित किया जाना। हमारे देश ने अभी–अभी गणतंत्र के 71वें वर्ष में प्रवेश किया है। उच्च सभा के रूप में, हमें उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नेतृत्व करने की आवश्यकता है। सभा को 'अपसारी' होने के बजाय 'अभिसारी' होना चाहिए। –21 जून, 2019 को	मुझे खुशी है कि इस सत्र के दौरान मेरा आशावाद सच सबित हुआ है। बहुत खुशी के साथ, मैं आप सभी से और देश के लोगों से सफलता को साझा कर सकता हूँ। इस सत्र ने 104.92% की उच्च उत्पादकता के साथ एक 'नवीन मानक' स्थापित किया है, जो 2014 के बाद से पिछले पाँच वर्षों में सबसे अच्छा रहा और ऐसा 17 सत्रों के बाद हुआ है। 35 बैठकों में, यह सत्र गत 14 वर्षों में सबसे लंबा रहा है। मौखिक उत्तरों के लिए 151 तारांकित प्रश्नों के साथ, 45 सत्रों के बाद, गत 14 वर्षों में यह सत्र सर्वश्रेष्ठ है। 326 शून्यकाल प्रस्तुतियों के साथ, 1999 में 186 वें सत्र के बाद से पिछले 21 वर्षों के 63 सत्रों में यह सबसे अच्छा है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, जिसे व्यापक रूप से 'तीन तलाक विधेयक' के रूप में जाना जाता है, का पारित होना, हिंदू संहिता विधेयकों के पारित होने के बाद से, पिछले 60 वर्षों में सबसे दूरगामी सामाजिक सुधार विधान रहा है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक एक और ऐतिहासिक विधान है। –7 अगस्त, 2019 को

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्‌गार	विदाई उद्‌गार
250	सभा के 250 वें सत्र का यह महत्त्वपूर्ण अवसर अब तक की यात्रा पर सामूहिक चिंतन करने और छूटे हुए अवसरों पर ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करने का उपयुक्त समय है। यह इसलिए आवश्यक है ताकि हम अतीत की गलतियों, यदि कोई हों, को न दोहराएँ। हमें गत 67 वर्षों के अनुभव (सभा की प्रथम बैठक के बाद से) से सीखने की जरूरत है और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो इसमें स्वयं को निरर्थक बनाने का जोखिम अंतर्निहित है। जैसा कि राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है, राज्य सभा के सदस्यों की ओर से यह अपेक्षित है कि वे अवरोधक या निरर्थक बनने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखें। –18 नवम्बर, 2019 को	मैं इस ऐतिहासिक 250वें सत्र के अंत जो 'गहनता और गंभीरता' जैसे सुखद शब्दों से चिह्नित है, पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप सभी के द्वारा सामूहिक रूप से यह प्रदर्शित करने पर विशेष रूप से प्रसन्नता हो रही है कि संसदीय लोकतंत्र किसी प्रकार के द्वन्द्व जिसके मूल में संघर्ष छुपा है, की तुलना में विचारों और विचारधाराओं के विरोध के रूप में अधिक है। पिछले सत्र के दौरान 100% से अधिक और इस सत्र में लगभग 100% की उत्पादकता के साथ, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह नवीन मानदंड कायम रहेगा। –13 दिसम्बर, 2019 को
251	एक गणतंत्र के रूप में हमने पिछले सप्ताह ही 70 वर्षों की सुदीर्घ यात्रा पूर्ण की है। सभापीठ के रूप में मेरा यह प्रयास होगा कि इस सत्र के दौरान सभा के सभी वर्गों को योजनाबद्ध तरीके से अपना उचित स्थान मिले। पिछले दो सत्रों, अर्थात 249वें और 250वें सत्र ने लंबी	सत्र के दोनों भागों सहित सभा की उत्पादकता 76.13% रही है। चर्चा और वाद-विवाद के अधिकार के पूर्ण और उचित उपयोग के परिणामस्वरूप 100% उत्पादकता प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी सही दिशा में बढ़ते रहेंगे। –23 मार्च, 2020 को

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्‌गार	विदाई उद्‌गार
	अवधि की तीव्र कार्यवाहियों के बाद 100% उत्पादकता प्राप्त की है। मैं आप सभी से इस सकारात्मक गति को बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। –31 जनवरी, 2020 को सर्वदलीय नेताओं की बैठक में	
252	हम 175 दिनों के अन्तराल (कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण 2020 का बजट सत्र निर्धारित समय से पहले 23 मार्च 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था) के बाद मिले हैं। मैं आप सभी से पिछले तीन सत्रों के दौरान इस प्रतिष्ठित सभा द्वारा दर्ज की गई उच्च उत्पादकता को बनाए रखने और उसे बढ़ाने का प्रयास करने के लिए हार्दिक आग्रह करता हूँ। –14 सितम्बर, 2020 को	हमें इस सत्र का निर्धारित 18 बैठकों से 8 बैठक पहले ही समापन करना है क्योंकि कोविड–19 महामारी अपने प्रकोप के 9 महीने बाद भी दुनिया भर में मानव जाति को चुनौती दे रही है। इस प्रतिष्ठित सभा को संसद की दोनों सभाओं के कक्षों और इस सभा की चार दीर्घाओं सहित 6 अलग–अलग स्थानों से कार्य करना था, जो राज्य सभा के इतिहास में अपनी तरह का पहला उदाहरण है। दूसरी पहल में, हमने पिछले सप्ताह के शनिवार और रविवार का सामान्य अवकाश लिए बिना कार्य किया है। पिछले तीन सत्रों के दौरान देखी गई उच्च उत्पादकता को जारी रखते हुए सभा की उत्पादकता 100.47% रही है। इस महती सभा के इतिहास में पहली

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्‌गार	विदाई उद्‌गार
		बार माननीय उप-सभापति को हटाने के प्रस्ताव की सूचना दी गई है और स्पष्ट कारणों से इसे अस्वीकार करना पड़ा। आप सभी की ओर से और अपनी ओर से, मैं एक बार फिर सभी अग्रणी कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और वैज्ञानिकों तथा हमारे कल्याण को सुनिश्चित करने वाले अन्य सभी लोगों की हार्दिक सराहना करता हूँ। -23 सितम्बर, 2020 को
253	हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 100 वर्षों के ऐतिहासिक अवसर पर (शाही और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव वर्ष 1920 के शीतकाल के दौरान हुआ था), मैं इस सम्मानित सभा को व्यवधान मुक्त कार्यवाही के माध्यम से सभा की गरिमा बढ़ाने का संकल्प करने का सुझाव देता हूँ। । -2 फरवरी, 2021 को	संसद का यह बजट सत्र अपने निर्धारित समय से 10 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है। सभा की उत्पादकता लगभग 90% रही है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 249वें सत्र के बाद से देखी गई उच्च उत्पादकता इस बार भी जारी है। जैसे-जैसे हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमें 'वाद-विवाद, फिर चर्चा और फिर निर्णय' के मंत्र से निर्देशित होना चाहिए, न कि 'व्यवधान' के मंत्र से। कोविड-19 महामारी के कारण इस चुनौतीपूर्ण समय में

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्‌गार	विदाई उद्‌गार
		आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है, जिसे हम सभी संबंधित लोगों के समन्वित प्रयासों से नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। –25 मार्च, 2021 को
254	लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने और अपनी पीड़ा को कम करने के लिए संसद की ओर देखते हैं। वे पिछले वर्ष से कोविड महामारी जनित तनावपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं। यह मानसून सत्र, जिसके पूर्ण होने की हम आशा करते हैं, देश की मौजूदा स्थिति और संभावित तीसरी लहर के कारण लोगों की पीड़ा बढ़ जाने के संदर्भ में अधिक महत्त्व रखता है। इस अनिश्चितता के बीच, संसद को सभी प्रकार के आवश्यक हस्तक्षेप करते हुए लोगों को आवश्यक समर्थन का आश्वासन देने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं सभी वर्गों से एक सार्थक मानसून सत्र सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ जो आज प्रारंभ हुआ है। –19 जुलाई, 2021 को	(सभापति द्वारा कोई विदाई उद्‌गार नहीं दिए गए) पिछले पाँच सत्रों की उच्च उत्पादकता से हट कर मानसून सत्र के दौरान सभा की उत्पादकता कम से कम 26% रही है। –11 अगस्त, 2021 को

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्‌गार	विदाई उद्‌गार
255	72वां संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2021 को मनाया गया। भारत के लोग जिन्होंने हमें यह संविधान दिया है, ने लोकतंत्र को शांतिपूर्ण तरीके से हमारे देश के सामाजिक-राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एक साधन के रूप में चुना है। तदनुसार, संविधान ने संसद और राज्य विधान सभाओं के उत्तरवर्ती चुनावों में व्यक्त 'जनादेश' के आधार पर विकास हेतु संवाद प्रणालियों के लिए विधायिका में 'संवाद और चर्चा' को निर्धारित किया। मैं आप सभी से इस सत्र का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह करता हूँ। -29 नवम्बर, 2021 को	मुझे आप सभी को यह बताते हुए दु:ख का अनुभव हो रहा है कि सभा ने अपनी क्षमता से बहुत कम काम किया। मैं आप सभी से सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से यह चिंतन और आत्म निरीक्षण करने का आग्रह करता हूँ, कि क्या यह सत्र कुछ अलग और बेहतर होता। मैं इस सत्र के बारे में विस्तार से नहीं बोलना चाहता क्योंकि यह मुझे एक बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने को प्रेरित करेगा। (इस सत्र के दौरान सभा ने केवल 47.80% की उत्पादकता देखी। सबसे बुरी तरह से प्रश्नकाल प्रभावित हुआ था, कुल प्रश्नकाल का 60.60% समय व्यवधानों के कारण नष्ट हो गया था।) -22 दिसम्बर, 2021 को
256	यह सत्र हमारी आजादी के 75 वें वर्ष और तब से चुनाव के 70 वर्षों के संगम के समय पर हो रहा है। इस ऐतिहासिक वर्ष में 5,000 संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों के लिए समय की माँग है कि वे लोगों को	

सत्र संख्या	आरम्भिक उद्गार	विदाई उद्गार
	वह उपकार लौटाएं जो वे हमारे लोकतंत्र को पोषित करके अथक रूप से कर रहे हैं। ऐसा करने का एक ही तरीका है कि हम अपने संसदीय लोकतंत्र में नागरिकों के विश्वास के अनुरूप आचरण करें। –2 फरवरी, 2022 को	256 वें सत्र के दौरान सभा की उत्पादकता 99.80% रही है जो कि 100% हो सकती थी यदि सभा निर्धारित कार्य समय के 10 मिनट और ले लेती। गत 12 साल में चार मंत्रालयों के कार्यकरण की चर्चा सबसे अच्छी रही है। (सचिवालय द्वारा 7 अप्रैल 2022 को बजट सत्र के समापन दिवस पर जारी सूचना।) –7 अप्रैल, 2022 को

कार्य : एक नजर में

श्री एम. वेंकैया नायडु द्वारा राज्य सभा के सभापति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से, 7 अप्रैल 2022 को समाप्त हुए बजट सत्र तक अर्थात 244वें से लेकर 256वें सत्र तक 13 पूर्ण सत्र हुए। 2020 का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया था।

कुल निर्धारित बैठकें : 289

आयोजित की गई वास्तविक बैठकें : 261

सभा के वास्तविक कामकाज की कुल अवधि : 913 घंटे 11 मिनट

इस अवधि के लिए सभा की उत्पादकता : 68.35%

पेश किए गए विधेयक : 35

पारित/वापस किए गए विधेयक: 177

पुर:स्थापित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की संख्या : 194

कुल गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा: 9

सभा में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए कुल तारांकित प्रश्न: 3525 में से 936

लोक महत्व के मुद्दों पर किये गये शून्यकाल में कुल उल्लेख: 1526

किए गए कुल विशेष उल्लेख: 953

राज्य सभा की 8 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने कुल 558 बैठकें (जून 2022 तक) की हैं और 369 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं।

सभापति, श्री एम. वेंकैया नायडु की अध्यक्षता में आयोजित 13 सत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	तारीख सहित सत्र संख्या	बैठकों की संख्या	उत्पादकता (%)	पारित किए गए/लौटाए गए विधेयक	पुर:स्थापित किए गए विधेयक	पुर:स्थापित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक
1	2	3	4	5	6	7
1.	244 (15.12.2017 से 05.01.2018)	13	58.80	9	0	19
2.	245 (भाग I 29.01.2018 से 09.02.2018 तक और भाग II 05.03.2018 से 06.04.2018 तक)	30	28.90	1	0	5
3.	246 (18.07.2018 से 10.08.2018 तक)	17	73.00	14	1	16
4.	247 (11.12.2018 से 09.01.2019 तक)	18	27.30	4	5	0
5.	248 (31.01.2019 से 13.02.2019 तक)	10	6.80	5	6	0
6.	249 (20.06.2019 से 07.08.2019 तक)	35	104.90	32	7	44
7.	250 (18.11.2019 से 13.12.2019 तक)	20	99	15	0	40

1	2	3	4	5	6	7
8.	251 (31.01.2020 से 11.02.2020 तक और 02.03.2020 से 23.03.2020 तक)	23	76.10	13	1	17
9.	252 (14.09.2020 से 23.09.2020 तक)	10	102.50	25	06	0
10.	253 (29.01.2021 से 12.02.2021 तक और 08.03.2021 से 25.03.2021 तक)	23	93.50	19	30	0
11.	254 (19.07.2021 से 11.08.2021 तक)	17	29.60	19	4	0
12.	255 (29.11.2021 से 22.12.2021 तक)	18	47.90	10	1	22
13.	256 (31.01.2022 से 11.02.2022 तक और 14.03.2022 से 07.04.2022 तक)	27	99.80	11	1	31

मुद्दे जिन्होंने व्यवधान उत्पन्न किया

• राज्य सभा के 244वें से लेकर 256वें तक के 13 सत्रों के दौरान, अठावन मुद्दों के कारण सभा की कार्यवाही में व्यापक रूप से व्यवधान उत्पन्न हुआ जिसके कारण सभा को दिन में एक या अधिक बार या पूरे दिन के लिए बाध्य होकर स्थगित करना पड़ा है।

• ऐसा 248 बैठकों में से 141 (57%) के दौरान हुआ। 107 (43%) बैठकें ऐसे व्यवधानों से मुक्त थीं।

• सभा के कामकाज को प्रभावित करने वाले इन 58 मुद्दों में से लगभग 20 मुद्दों ने सभा की दो से अधिक बैठकों में व्यवधान उत्पन्न किया। ये थे:

आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (36 बैठकों में उठाया गया) कृषि कानूनों को पारित करना और किसानों द्वारा विरोध (19); पेगासस स्पाइवेयर मुद्दा (17); कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग (17); सभा से 12 सदस्यों के निलंबन को समाप्त करने की मांग (12); सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों विशेष रूप से पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी (9); ईंधन की कीमतों में वृद्धि (8); सीबीआई का दुरुपयोग (7); अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला उच्चतम न्यायालय का आदेश (6); पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह, की दिल्ली में कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात (6); नागरिकता संशोधन और नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (6); राफेल विमान की खरीद (5); कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त (5); उत्तर-पूर्वी दिल्ली में कथित सांप्रदायिक हिंसा (5); केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगड़े द्वारा संविधान से 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द हटाए जाने की मांग (4); लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की घटना और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के त्याग पत्र की मांग (3); दिल्ली में व्यावसायिक इकाईयों की सीलिंग (3); राज्यपाल के पद का दुरुपयोग (3); दिल्ली सरकार की कीमत पर दिल्ली के एलजी को अधिक शक्तियां देना (2); मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2017) को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजने की मांग (2)।

सत्रवार सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने वाले मुद्दे

सत्र सं.	कुल बैठकें	बाधित बैठकों की सं.	मुद्दे
1	**2**	**3**	**4**
244 (2017 का शीतकालीन सत्र)	13	9	– पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह की दिल्ली में कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात (6 दिनों तक उठाई गई) – मंत्री, श्री अनंतकुमार हेगड़े द्वारा संविधान से 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द हटाए जाने की मांग (4) – मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2017) को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजने की मांग (2) – पुणे में भीमा-कोरेगांव जातीय हिंसा के मद्देनजर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था (1) – राज्य सभा से श्री शरद यादव की अयोग्यता (1)
245 (2018 का बजट सत्र)	28	27	– आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (24) – कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन (17) – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी (10) – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला उच्चतम न्यायालय का आदेश (6) – दिल्ली में व्यावसायिक इकाईयों की सीलिंग (3) – राज्य के प्रशासन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का हस्तक्षेप (2) – उत्तर प्रदेश के कासगंज में बिगड़ती कानून व्यवस्था (1)
246 (2018 का मानसून सत्र)	16	11	– असम में एनआरसी के अंतिम प्रारुप का प्रकाशन (3) – आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (2) – देवरिया, उत्तर प्रदेश में एक आश्रय गृह में लड़कियों का उत्पीड़न (2) – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 पर चर्चा के दौरान एक टीएमसी सदस्य पर भाजपा सदस्य की टिप्पणी (1) – राफेल विमान की खरीद में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग (1)

1	2	3	4
247 (2018 का शीतकालीन सत्र)	17	15	– कर्नाटक में मेकेदातु संतुलन जलाशय के निर्माण पर रोक लगाने की मांग (11) – आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (6) – सीबीआई का दुरुपयोग (2) – राफेल विमान की खरीद का मुद्दा (2) – दिल्ली में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग (1) – उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हिंसा (1) – सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर केरल में हिंसा (1) – नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के पारित होने पर चिंताओं के कारण असम और पूर्वोत्तर राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति (1) – जम्मू-कश्मीर में नागरिकों पर गोलाबारी (1)
248 (2019 का बजट सत्र)	8	7	– पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सीबीआई का कथित दुरुपयोग (5) – आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (3) – राफेल खरीद मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग (2) – असम और अन्य पूवोत्तर राज्यों में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (2) – कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त (1) – उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अवैध शराब के सेवन से मौतें (1) – लखनऊ हवाई अड्डे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के प्रवेश की मनाही (1)
249 (2019 का मानसून सत्र)	34	9	– कर्नाटक में राजनीतिक स्थिति और विधायकों की अवैध खरीद-फरोख्त (4) – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश (1) – सभी भाषाओं में डाक परीक्षा की मांग (1) – भूमि विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हत्याएं (1) – अमरीकी राष्ट्रपति के इस कथन पर मीडिया रिपोर्ट कि भारत ने कश्मीर मुद्दे पर उसकी मध्यस्थता की मांग की (1)

1	2	3	4
			– बिहार और देश के अन्य हिस्सों में भीड़ द्वारा हत्या (1) – सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजने की मांग (1) – उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार का दुर्घटना मामला (1) – राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 पर बहस के दौरान मंत्री की अनुपस्थिति (1)
250 (2019 का शीतकालीन सत्र)	20	7	– जेएनयू के छात्रों द्वारा विरोध करने पर कथित पुलिस कार्रवाई (1) – चुनावी बांड जारी करना (1) – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण (1) – महाराष्ट्र में सरकार का गठन और राज्यपाल की भूमिका (1) – उन्नाव बलात्कार पीड़िता को जलाया जाना (1) – ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा को प्रत्येक सप्ताह लेने की मांग (1) – सभा में कैबिनेट मंत्रिमंडल स्तर के किसी मंत्री का उपलब्ध न होना (1) – राज्यों को जीएसटी बकाया जारी करने में देरी (1) – नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर असम और पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति (1)
251 (2020 का बजट सत्र)	21	9	– पूर्वोत्तर दिल्ली में कथित सांप्रदायिक हिंसा (5) – श्री दिग्विजय सिंह को बेंगलुरु में पुलिस द्वारा हिरासत में लेना (1) – श्री बिनोय बिस्वम के गैर–सरकारी सदस्य विधेयक पर चर्चा के दौरान एक भाजपा सदस्य की टिप्पणी (1) –नागरिकता (संशोधन) विधेयक और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर राष्ट्रव्यापी विरोध (1)
252 (2020 का मानसून सत्र)	10	2	– कृषि कानून पारित किए जाने का विरोध (2)

1	2	3	4
253 (2021 का बजट सत्र)	21	9	– कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन (3) – ईंधन की कीमतों में वृद्धि (3) – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 के माध्यम से दिल्ली के उप राज्यपाल को अधिक अधिकार देना (2) – बीमा विधेयक को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजने की मांग (1) – सत्ता पक्ष द्वारा महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक के पत्र का हवाला देते हुए राज्य के गृह मंत्री पर जबरन वसूली का अवैध धंधा चलाने का आरोप लगाया जाना (1)
254 (2021 का मानसून सत्र)	17	17	– पेगासस स्पाइवेयर का दुरुपयोग (17) – निरंतर चल रहा किसानों का विरोध–प्रदर्शन (13) – कोविड–19 महामारी से निपटना (1) – ईंधन की कीमतों में वृद्धि (1) – आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (1)
255 (2021 का शीतकालीन सत्र)	18	13	– सभा से 12 सदस्यों के निलंबन को समाप्त करने की मांग (12) – नागालैंड के मोन जिले में गोलीबारी में नागरिकों की मौत (2) – लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या पर एसआईटी रिपोर्ट के संदर्भ में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग (3) – निरंतर चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन (1)
256 (2022 का बजट सत्र)	25	6	– ईंधन की कीमतों में वृद्धि (4) – मजदूर संघों द्वारा हड़ताल (1) – पश्चिम बंगाल में बच्चों और महिलाओं को जलाया जाना (1)
कुल	**248**	**141**	

*इस प्रयोजन के लिए कुल 261 में से 13 बैठकों को हटा दिया गया था क्योंकि उन बैठकों के दौरान सभा का कार्य राष्ट्रपति के वार्षिक संयुक्तअभिभाषण और केंद्रीय बजट की प्रतियां सभा पटल पर रखना तथा केवल श्रद्धांजलि देना था।

परिणाम

सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने सभा और सचिवालय के कार्यकरण के प्रत्येक पहलू को प्रमात्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि उनकी यात्रा के क्रम पर नजर रखी जा सके। इसने परिवर्तन पर नजर रखने के लिए नियमित समीक्षा और अनुवीक्षण को सक्षम बनाया और इससे परिवर्तन आया। ऐसे परिवर्तनों को दर्शाने वाले प्रमात्रीकरण के कुछ उदाहरण नीचे सूचीबद्ध हैं:

सभा का कार्यकरण

1. सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु की अध्यक्षता में 13 सत्रों के दौरान राज्य सभा की कुल उत्पादकता 68.35% रही है। प्रथम पांच सत्रों की उत्पादकता 42.77% से बढ़कर अगले आठ सत्रों के लिए 82.34% हो गई है। वर्ष 2014-2022 (अप्रैल तक) के दौरान राज्य सभा की उत्पादकता 74.00% रही है।

8 जून 2022 को समीक्षा

2. राज्य सभा के औसतन 78% सदस्य सभा की कार्यवाही में प्रतिदिन उपस्थित होते हैं और 2.56% सदस्य कभी भी कार्यवाही में उपस्थित नहीं होते हैं। 2019 से सितंबर, 2021 तक आयोजित 248वें से 254वें सत्र में सदस्यों की उपस्थिति के विश्लेषण से पता चला कि 254वें सत्र के दौरान सर्वाधिक 82.57% की दैनिक उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि 253वें सत्र के दौरान न्यूनतम उपस्थिति 72.88% दर्ज की गई। 138 बैठकों तक चलने वाले इन 7 सत्रों में 29.14% सदस्यों ने पूर्ण उपस्थिति दर्ज की।

-10 अक्टूबर 2021 को समीक्षा

3. नवंबर, 2014 में प्रश्नकाल पूर्वाह्न 11.00 बजे के स्थान पर दोपहर 12.00 बजे करने से अगले पांच वर्षों में इसके उपयोग में लगभग 9% की वृद्धि हुई है, यद्यपि सभा द्वारा अभी तक अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त किया जाना शेष है। 2010 से 2014 की 5 साल की अवधि के दौरान प्रश्नकाल के लिए उपलब्ध कुल समय का 32.60% उपयोग किया गया था, जिसमें 67.40% समय व्यवधानों और जबरन स्थगन के कारण बर्बाद हो गया था। वर्ष 2015 से 2019

के दौरान प्रश्नकाल के समय का उपयोग सुधर कर 41.39% तक हो गया है। वर्ष 2004–2009 के दौरान प्रश्नकाल का उपयोग 60.40% रहा।

–13 नवंबर 2020 को

4. 2004 से 2019 के बीच 16 साल की अवधि तक प्रश्नकाल का उपयोग 45.37% रहा है। 2017 में उच्चतम उपयोग 73.36% और 2005 में 68.45% था। 2013 में न्यूनतम उपयोग 21.66% और 2018 में 24.13% था। इस अवधि के दौरान 10 वर्षों में प्रश्नकाल का उपयोग 2015–2019 की अवधि सहित उपलब्ध समय के आधे से भी कम समय के लिए किया गया। चुनावी वर्ष 2019 और उससे पहले के वर्ष के दौरान प्रश्नकाल के उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी। 2013 और 2014 के दौरान, उपयोग 2010–12 के औसत 37.29% की तुलना में केवल 24.19% था। इसी तरह, पिछले तीन वर्षों के औसत 46.63% की तुलना में 2018–19 के दौरान प्रश्नकाल के केवल 33.94% का उपयोग किया गया।

–13 नवंबर 2020 को एक समीक्षा

5. राज्य सभा के लिए वर्ष 2019 के शीतकालीन सत्र की समाप्ति उल्लेखनीय रूप में हुई और इसने व्यवधानपूर्ण कार्यवाहियों के वर्षों को पीछे छोड़ते हुए 65 बैठकों के दौरान 52 विधेयक पारित किए, जो पिछले 36 वर्षों में सबसे अच्छा है। 1984 में, सभा में 63 बैठकों में 67 विधेयक पारित हुए। 1952 में राज्य सभा की स्थापना के बाद से, पिछले 67 वर्षों के दौरान विधायी उत्पादकता केवल 6 वर्षों अर्थात 1976, 1984, 1985, 1993, 2002 और 2003 में ही प्रतिदिन एक विधेयक से कुछ ही अधिक रही है।

–31 दिसंबर 2019 को

6. सभापति के आदेश पर राज्य सभा सचिवालय द्वारा किए गए अपनी तरह के पहले विश्लेषण में, यह पता चला कि विभिन्न दलों को 11 फरवरी, 2020 को समाप्त बजट सत्र के पहले भाग में विभिन्न तरीकों के तहत भागीदारी करने का उचित अवसर मिला। कुल 1460 अंत:क्षेपों में विपक्ष को थोड़े अधिक अवसर मिले। भाजपा के 82 सदस्यों को, जो सभा की कुल सदस्य संख्या 239

का 34% हिस्सा है, को 480 अवसर प्राप्त हुएं जो कि कुल अवसरों का 33% हैं। 46 सदस्यों वाली कांग्रेस, जो कुल सदस्य संख्या का 19% थी, को 345 अवसर मिले जो कुल अवसरों का 24% है। सभा में 5 सदस्यों और उससे अधिक सदस्यों वाले 10 मान्यता प्राप्त दलों के कुल 190 सदस्यों, जो कुल सदस्य संख्या का 80% हैं, को कुल अवसरों का लगभग 81% मिला। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय सहित अन्य, जो सभा की सदस्यता का 20% हैं, को कुल 19% अवसर प्राप्त हुए।

– 23 फरवरी 2020 को सदस्यों की भागीदारी की समीक्षा

7. राज्य सभा द्वारा सत्रों के दौरान समय के उपयोग के अपने तरह के पहले विश्लेषण से पता चला कि सभा अपने कार्यात्मक समय का 40.20 प्रतिशत सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श करने, 32.22% कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने और 27.57 प्रतिशत समय कानून बनाने पर खर्च करती है। यह विश्लेषण 1978 से 41 वर्ष की अवधि की जानकारी पर आधारित है जिसके लिए अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं। कार्य की अन्य मदों पर लगाए गए समय का अंश इस प्रकार है:– बजट पर सामान्य चर्चा (7.08%); धन्यवाद प्रस्ताव (4.36%); विभिन्न मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा (3.93%); प्रश्नकाल (14.19%); ध्यानाकर्षण सूचना (7.1%); विभिन्न मुद्दों पर मंत्रियों का वक्तव्य (6.33%); गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प (3.16%) और आधे घंटे की चर्चा (1.25%)। सभा में प्रति वर्ष 500 घंटे से अधिक काम करने के सभी उदाहरण 1978–1988 के दौरान के थे। 1995 से सभा द्वारा 23 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 300 घंटे से अधिक कार्य किए जाने के केवल 6 उदाहरण थे। वर्ष 2010 से, यह प्रति वर्ष 300 घंटे से कम रहा है।

–25 अप्रैल 2020 के परिणाम की समीक्षा

8. 2015–19 के दौरान, प्रश्नकाल के कुल उपलब्ध समय का केवल 40% का ही लाभ उठाया गया था और प्रश्नों के समय का बहुमूल्य 60% समय व्यवधानों आदि के कारण व्यर्थ चला गया था। 2015–19 के दौरान, राज्य सभा ने कुल 332 बैठकें कीं जिनमें केवल 133 घंटे 17 मिनट का ही लाभ उठाया

गया। प्रश्नकाल पर व्यय किया गया समय केवल एक बार 2017 में उपलब्ध समय के 50% को पार कर गया। 2015 में प्रश्न काल के समय का उपयोग 26.25%; 2016 के दौरान 48.33%; 2017 में 57.73%; सबसे कम 2018 में 22.28% और 2019 में 47.17% था।

– 3 सितंबर 2020 को

9. श्री एम. वेंकैया नायडु द्वारा 11 अगस्त, 2017 को राज्य सभा के सभापति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से, सभा ने हाल में अतीत से हटकर परिवर्तन की कुछ झलक दिखाई है। सभा की उत्पादकता 249वें सत्र के दौरान 104%, ऐतिहासिक 250वें सत्र के दौरान 99% और 251वें सत्र के दौरान 76% थी, जिसके परिणामस्वरूप 2019 के दौरान 78.42% की औसत उत्पादकता रही, जो कि 2010 के बाद से सबसे अधिक है। यह परिवर्तन 246वें सत्र के दौरान 28.90% की उत्पादकता, 247वें सत्र के दौरान 27.30% की उत्पादकता और 248वें सत्र के दौरान 6.80% की निम्न उत्पादकता के साथ, 2018 के दौरान अब तक के सबसे कम 35.75% की वार्षिक उत्पादकता की पृष्ठभूमि में आया।

– 11 अगस्त 2020 को कार्यालय में तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर

10. 13 मई, 1952 को राज्य सभा की पहली बैठक के बाद से, सभा की संरचना में समय के साथ काफी परिवर्तन आया है और शुरूआती 68 वर्षों में से 39 वर्षों तक (और जो तब से जारी है) सदस्य संख्या के संदर्भ में सभा में विपक्षी सदस्यों की संख्या अधिक रही है। उच्च सभा ने जीएसटी, आईबीसी, तीन तलाक, जम्मू–कश्मीर के पुनर्गठन, नागरिकता संशोधन आदि से संबंधित कई प्रमुख विधेयकों को पारित किया है, यद्यपि वर्तमान सरकार के पास संख्या बल नहीं है। उच्च सभा उत्तरोत्तर एक विमर्शी निकाय बन कर उभर रही है जिसने 1978–2014 के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभा के समय का 33.4%; 2005–2014 के दौरान 41.42% और 2015–2019 के दौरान 46.59% खर्च किया। यद्यपि, 1978–2004 के दौरान कार्यपालिका की जवाबदेही पर खर्च किए गए सभा के 39.50% समय के मुकाबले, 2005–2014 के दौरान यह घटकर 21.99% और 2015–2019 के दौरान यह और घटकर 12.34% हो गया।

–सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु 13 मई 2020 को राज्य सभा की 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक फेसबुक पोस्ट में

11. प्रश्नों के समय में राज्य सभा सदस्यों की भागीदारी के विश्लेषण से पता चला कि बड़ी संख्या में सदस्यों को तारांकित प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। 249वें सत्र के दौरान सूचीबद्ध 375 प्रश्नों और 250वें सत्र के दौरान सूचीबद्ध 285 प्रश्नों सहित 660 तारांकित प्रश्नों के विश्लेषण से पता चला कि पिछले दो सत्रों के दौरान क्रमशः 75% और 65% सदस्यों को ऐसे अवसर मिले। इन दोनों सत्रों के दौरान संयुक्त रूप से अग्रणी प्रश्नकर्ताओं में एआईएडीएमके के श्री ए. विजयकुमार (13 प्रश्न), बीजेपी के श्री हरनाथ सिंह यादव (11 प्रश्न), टीएमसी के डॉ. सांतनु सेन (10 प्रश्न), टीआरएस के डॉ. बांडा प्रकाश (9 प्रश्न), जेडी (यू) के श्री राम नाथ ठाकुर (9 प्रश्न), बीजेपी के श्री अमर शंकर साबले (9 प्रश्न), बीजेपी के डॉ. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (9 प्रश्न), कांग्रेस के डॉ. एल. हनुमंतय्या (8 प्रश्न), टीडीपी के श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार (8 प्रश्न) और वाईएसआरसीपी के श्री वी. प्रभाकर रेड्डी (8 प्रश्न) शामिल थे। राज्य सभा की 25 महिला सदस्यों में एआईएडीएमके की श्रीमती शशिकला पुष्पा रामास्वामी 7 प्रश्नों के साथ आगे थीं।

–12 जनवरी 2020 को

12. 2019 के इस शीतकालीन सत्र के दौरान, सभा के कुल कार्यात्मक समय का 39% समय विधान कार्य पर, 25.40% समय अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने पर, 13% समय प्रश्नकाल पर और 5% समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर खर्च किया गया है। यह सत्र पिछले 49 वर्षों, जिसके संबंध में डाटा उपलब्ध है, में सबसे अच्छा साबित हुआ है जिसमें सामान्य तौर पर चार से पांच प्रश्न के मुकाबले प्रतिदिन 9.5 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। 117 तारांकित प्रश्नों, जो कुल निर्धारित 255 प्रश्नों का 67 प्रतिशत है, के मौखिक रूप से उत्तर दिए गए हैं।

–13 दिसंबर 2019 को सभा में सभापति

13. राज्य सभा का 249वां सत्र, कई मायनों में सर्वश्रेष्ठ

राज्य सभा का 249वां सत्र, 2019 का बजट सत्र, सभा के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक उत्पादक साबित हुआ।

i. 32 विधेयकों के पारित होने के साथ, यह पिछले 17 वर्षों के 52 सत्रों में से सर्वश्रेष्ठ सत्र था और पिछले 41 वर्षों में पांचवां सर्वश्रेष्ठ सत्र था।

ii. 35 बैठकों के दौरान कार्य के विभिन्न मदों के निष्पादन की कुल 195 घंटे की अवधि के साथ, यह सत्र पिछले 11 वर्षों के दौरान 36 सत्रों में सर्वश्रेष्ठ था।

iii. 35 बैठकों के साथ, यह सत्र पिछले 14 वर्षों में सबसे लंबा था।

iv. 155 तारांकित प्रश्नों के दिए गए मौखिक उत्तर के साथ, यह पिछले 14 वर्षों में और 45 सत्रों के बाद सबसे बेहतर सत्र था।

v. 40.27% तारांकित प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दिए जाने के साथ, यह पिछले 16 वर्षों और 51 सत्रों में सबसे अच्छा था।

vi. 195 विशेष उल्लेखों के साथ, यह पिछले 4 वर्षों में 12 सत्रों का सर्वश्रेष्ठ सत्र था।

vii. शून्यकाल की 326 प्रस्तुतियों के साथ, यह सत्र 63 सत्रों, जिसके संबंध में डाटा रखा जाता है, में फैले पिछले 20 वर्षों में सबसे बेहतर साबित हुआ।

viii. 104.92% की उत्पादकता के साथ, यह सत्र पिछले 17 सत्रों में सर्वश्रेष्ठ था।

–7 अगस्त 2019 को सभा में सभापति

14. राज्य सभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने 2019 में आम चुनाव से पूर्व बजट सत्र के दौरान विगत पांच वर्षों यथा 2014–2019 के दौरान उच्च सभा के कार्य निष्पादन के संबंध में अपने तरह की पहली ''रिपोर्ट टू द पीपुल'' प्रस्तुत की। 2014 से, सभा ने 18 सत्र और 329 बैठकें कीं और 154 विधेयक पारित किए। इसके साथ, विधायी आउटपुट 2009–2014 के दौरान पारित 188 विधेयकों की तुलना में 34 विधेयक कम है। 2014 के बाद से, सभा उपलब्ध समय का लगभग 60% ही उपयोग कर सकी।

–सभापति ने 13 फरवरी 2019 को सभा में 'रिपोर्ट टू द पीपुल' पेश की

15. राज्य सभा ने 15 वर्षों के बाद दिन के लिए सूचीबद्ध सभी 15 तारांकित प्रश्नों को लिया। ऐसा पिछली बार 2002 में सभा के 197वें सत्र के दौरान हुआ था।

–2 जनवरी 2018 को

16. राज्य सभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने अनवरत व्यवधानों के कारण निष्क्रिय विधान मण्डलों पर चिंता व्यक्त की। सभापति ने कहा कि 2019 में आम चुनाव से पूर्व वर्ष 2018 के दौरान राज्य सभा की उत्पादकता अब तक के सबसे कम 40.08% पर पहुंच गई है और 254वें सत्र के दौरान यह और कम होकर 29.60% हो गई है। राज्य सभा की वार्षिक उत्पादकता 1979 से 1994 तक 16 वर्षों में 100% से अधिक रही है, जबकि अगले 26 वर्षों के दौरान केवल दो बार अर्थात 1998 और 2009 में ऐसा हुआ है।

–26 नवंबर 2021 को 'संविधान दिवस' के
अवसर पर सभापति की टिप्पणी/कथन

17. अतीत या वर्तमान में निलंबन (कार्यवाही में बाधा डालने के लिए सभा से सदस्यों का) सभा द्वारा ऐसे सदस्यों के कदाचार कृत्यों की अस्वीकृति की अभिव्यक्ति भर है। सभा में इस तरह के अलोकतांत्रिक आचरण की अस्वीकृति को निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। नवीनतम निलंबन (2021 के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 सदस्यों का) पहली बार नहीं हुआ है। 1962 से, वर्तमान सरकार द्वारा उपस्थित प्रस्ताव के अलावा 2010 तक 11 अवसरों पर ऐसा हुआ.... दुर्भाग्य से, यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सभा का 'अनादर' लोकतांत्रिक है लेकिन ऐसे अनादर के विरुद्ध कार्रवाई करना अलोकतांत्रिक है। मुझे यकीन है कि देश के लोग लोकतंत्र के इस नए मानदंड को स्वीकार नहीं करेंगे।

– 2 दिसंबर 2021 को सभा में सभापति

18. राज्य सभा ने 1 वर्ष 9 महीने और 24 दिनों और 66 बैठकों के बाद गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निर्धारित ढाई घंटे (शुक्रवार 3 दिसंबर 2021) के समय का पूरा उपयोग किया है। पिछली बार ऐसा 7 फरवरी 2020

को सभा के 251वें सत्र (बजट सत्र) के दौरान हुआ था। 3 दिसंबर 2021 को राज्य सभा में 22 गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक पुर:स्थापित किए गए थे और एक विधेयक पर चर्चा हुई थी।

– 6 दिसंबर 2021 को सभा में सभापति

19. वर्ष 2021 के शीतकालीन सत्र सहित राज्य सभा के पिछले पांच सत्रों को निर्धारित समय से पूर्व ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया जिससे इस प्रक्रिया में कुल 29 बैठकों का नुकसान हुआ। उनमें से तीन की समयावधि कोविड–19 महामारी के कारण कम कर दी गई। इस संबंध में सभापति द्वारा वांछित समीक्षा से पता चला कि पिछले 20 वर्षों में 63 सत्रों के 51% विभिन्न कारणों से निर्धारित समय से पहले समाप्त हो गए थे। इस प्रक्रिया में, इन 20 वर्षों के दौरान कुल 108 बैठकों, जो कुल निर्धारित बैठकों का 7.42% है, का नुकसान हुआ।

–6 दिसंबर 2021 को

20. वर्ष 2021 के दौरान राज्य सभा की वार्षिक उत्पादकता 58.80% रही जो कि 2018 के दौरान लगभग 40.08% के बाद दूसरी सबसे कम उत्पादकता रही है। इसके विपरीत, राज्य सभा की 8 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (डीआरएससी) ने सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। इन 8 समितियों के प्रदर्शन की नवीनतम समीक्षा में महामारी के बावजूद बैठकों की अवधि में 20% और उपस्थिति में 6% की वृद्धि का पता चला है। पिछले चार वर्षों के दौरान इन समितियों का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। यह पाया गया कि 2017–2018 में केवल दो समितियों ने प्रति बैठक दो घंटे से अधिक की औसत अवधि की बैठक की, जबकि छह समितियों ने 2020–2021 के दौरान ऐसा किया है। 2017–2018 में किसी भी समिति ने 50% उपस्थिति दर्ज नहीं की, जबकि 2021 के दौरान तीन समितियों ने 50% की उपस्थिति दर्ज की गई और अन्य छह समितियों ने इस अवधि के दौरान औसत उपस्थिति में सुधार दर्ज किया। प्रत्येक बैठक की औसत अवधि 2016–2017 के दौरान 1 घंटे 48 मिनट से बढ़कर पिछले पांच वर्षों में 2 घंटे 11 मिनट हो गई है। इस दौरान औसत उपस्थिति 44.87% से बढ़कर लगभग 46% हो गई।

– 1 जनवरी 2022 को

21. चार सत्रों में 41 बैठकों के बाद और लगभग एक वर्ष के बाद राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान 2 फरवरी 2022 को राज्य सभा में व्यवधान मुक्त कार्यवाही सम्पन्न हुई। सदस्यों के साथ इसे साझा करते हुए, सभापति श्री वेंकैया नायडु ने सभा में कहा: ''कल बहस को एक तरफ सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा प्रभावी उपलब्धियों के दावे के रूप में प्रस्तुत किया गया तो दूसरी तरफ विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध किया गया था। यह सभा के सुचारू कामकाज का परिणाम है। मुझे आशा है कि यह भावना सत्र के शेष भाग और भविष्य के लिए भी बनी रहेगी।''

–3 फरवरी 2022 को

समितियों का कामकाज

1. राज्य सभा की आठ विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने सितंबर 2017 से मई 2022 के दौरान 549 बैठकें की हैं। इस अवधि के दौरान इन बैठकों की कुल औसत अवधि जो 2016–2017 में 1 घंटे 48 मिनट थी, जो बढ़कर 2 घंटे 11 मिनट हो गई है। कोविड–19 महामारी के बावजूद औसत उपस्थिति लगभग 46% रही है।

– 7 जून 2022 को समीक्षा

2. 1 अप्रैल 2018 से संसद सदस्यों को विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (डीआरएससी) और सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए दिए जाने वाले विशेष भत्ते को वापस लिए जाने के बाद में इन समितियों की बैठकों में उनकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जब ऐसा भत्ता पूरे वर्ष के दौरान उपलब्ध था, तब 2016–2017 के दौरान औसत उपस्थिति 47.64% थी, जबकि कोविड–19 महामारी के बावजूद, 2019–2020 के दौरान औसत उपस्थिति बढ़कर 48.79% हो गई। हालांकि कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के कारण 2020–2021 में उपस्थिति में मामूली गिरावट आई, 2019–2021 की दो साल की अवधि के दौरान औसत उपस्थिति 46.75% रही है। सभापति के कहने पर इस संबंध में किए गए विश्लेषण से पता चला कि राज्य सभा की 8 डीआरएससी की बैठकों की औसत अवधि 2016–2017 के दौरान 1 घंटे 48 मिनट से बढ़कर 2 घंटे 11 मिनट हो गई है।

–18 जनवरी 2022 को

3. राज्य सभा की 8 डीआरएससी ने सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें महामारी के बावजूद बैठकों की अवधि में 20% से अधिक की वृद्धि और उपस्थिति में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले चार वर्षों के दौरान इन समितियों का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 2017–2018 में केवल दो समितियों ने प्रति बैठक 2 घंटे से अधिक की औसत अवधि की सूचना दी, जबकि छह समितियों ने 2020–2021 के दौरान ऐसा किया है। 2017–2018 में किसी भी समिति ने 50% उपस्थिति की सूचना नहीं दी है, तीन समितियों ने

2021 के दौरान ऐसा किया है और अन्य छह समितियों ने भी इस अवधि के दौरान औसत उपस्थिति में सुधार किया है। प्रत्येक बैठक की औसत अवधि 2017-2018 के दौरान 1 घंटे 51 मिनट से बढ़कर 2 घंटे 14 मिनट हो गई है।

– 1 जनवरी 2022 को

4. सभापति ने सभा को सूचित किया कि राज्य सभा की 8 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (डीआरएससी) में से 7 ने अंतर-सत्र अवधि (2021 के मानसून सत्र से पहले) के दौरान कुल 50 घंटे 38 मिनट की अवधि की 20 बैठकें कीं। 2 घंटे 32 मिनट की औसत बैठक अवधि अब तक की सबसे अच्छी अवधि रही है। उन्होंने सभी 8 समितियों के अध्यक्षों को पहले के एक पत्र का हवाला दिया जिसमें उनसे 2 घंटे 30 मिनट की औसत अवधि और प्रत्येक बैठक में 50% उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया था। अंतर-सत्र अवधि के दौरान बैठकों में औसत उपस्थिति लगभग 49% रही है।

–19 जुलाई 2021

5. राज्य सभा की आठ विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (डीआरएससी) ने सितंबर 2019 में अपने पुनर्गठन के बाद से 41 बैठकें कीं। इन समितियों में राज्य सभा के 80 सदस्य हैं और उनमें से 18 ने संबंधित समितियों की सभी बैठकों में भाग लिया है। 168 में से 18 लोक सभा सदस्यों की भी पूर्ण उपस्थिति थी। इन 41 बैठकों में औसत उपस्थिति 48.54% थी, जिसमें गृह कार्य संबंधी समिति की एक बैठक में 5 से कम उपस्थिति थी जबकि शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल समिति (ईडब्ल्यूसीवाई एंड एस) की एक बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या 25 थी। इनमें से प्रत्येक बैठक में औसत उपस्थिति अर्थात् गृह कार्य संबंधी समिति के मामले में 39% से लेकर ईडब्ल्यूसीवाई एंड एस के मामले में यह 65% तक थी। 23 बैठकों के मामले में उपस्थिति 50% से कम रही है। कुल 248 सदस्यों में से 28 सदस्य अर्थात् 11% सदस्य अब तक डीआरएससी की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं और 100 सदस्य अर्थात् 40% सदस्य संबंधित समितियों की दो या इससे अधिक क्रमिक बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं।

–सभा में 5 दिसंबर 2019 को सभापति

6. श्री नायडु ने सभा को सूचित किया कि राज्य सभा की 8 विभागीय समितियों में दोनों सदनों के कुल 243 में से कुल 95 सांसदों की संख्या 39% है, जिनकी 2021–2022 की अनुदान मांगों की जांच पर हुई बैठकों में शून्य उपस्थिति थी। इस दौरान टीएमसी के 14 सदस्यों में से 57%, भाजपा के 109 सदस्यों में से 36%, कांग्रेस के 33 सदस्यों में से 15% और अन्य पार्टियों के 80 में से 50% सांसद 20 मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार के दौरान संबंधित समितियों की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। राज्य सभा के कुल 77 में से 23 सदस्यों अर्थात् 30% की और लोक सभा के कुल 166 में से 72 सदस्यों अर्थात् 43% की उपस्थिति शून्य थी।

–मार्च 7 2020

7. 2019–2020 के दौरान अब तक हुई डीआरएससी की बैठकों में उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान पहली बार 50% का आंकड़ा पार कर गया है। इस वर्ष अब तक कुल 98 बैठकें हुई हैं, जिसमें कुल उपस्थिति 50.73 प्रतिशत रही। कोरम के बिना आयोजित बैठकों की संख्या पिछले दो वर्षों के 38% और 11% की तुलना में 2019–2020 के दौरान 10% तक गिर गई।

–सभापति द्वारा 22 मई 2020 को समीक्षा

8. सभापति ने सभा को सूचित किया कि राज्य सभा की 8 समितियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 18 मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच पर 2021 में 12% अधिक समय बिताया है। इन समितियों ने पिछले वर्ष 63 घंटे की अवधि की 20 बैठकों की तुलना में 70 घंटे 27 मिनट की कुल अवधि की 21 बैठकें कीं। राज्य सभा सदस्यों की उपस्थिति पिछले वर्ष के 52.57% से बढ़कर 58.24% हो गई। साथ ही, राज्य सभा के 50% सदस्यों ने पिछले वर्ष के 36% सदस्यों की तुलना में सभी बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों की औसत अवधि 2 घंटे 36 मिनट थी। सभी बैठकों में कोरम था, जबकि पिछले वर्ष 20 में से 3 बैठकों में कोरम नहीं था।

–8 मार्च 2021

9. राज्य सभा की 8 डीआरएससी ने कुल 110 घंटे और 4 मिनट की 55 बैठकें (2021 के बजट सत्र से पहले की अवधि के दौरान) की, जो पहले के औसत 1 घंटे 54 मिनट प्रति बैठक के मुकाबले 2 घंटे 7 मिनट की औसत अवधि वाली थीं।

–सभा में 2 फरवरी 2021 को सभापति

10. 1 अप्रैल 2018 से संसद सदस्यों के यात्रा भत्ते को वापस लेने से विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद सदस्यों पर बाद में इन समितियों की बैठकों में उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जब ऐसा भत्ता पूरे वर्ष के दौरान उपलब्ध था, तब 2016–2017 के दौरान औसत उपस्थिति 47.64% थी, जबकि कोविड–19 महामारी के बावजूद, 2019–2020 के दौरान औसत उपस्थिति बढ़कर 48.79% हो गई। हालांकि कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के कारण 2020–2021 में उपस्थिति में गिरावट आई, 2019–2021 की दो साल की अवधि के दौरान औसत उपस्थिति 46.75% रही है। सभापति के कहने पर इस संबंध में किए गए विश्लेषण से पता चला कि राज्य सभा की 8 डीआरएससी की बैठकों की औसत अवधि 2016–2017 के 1 घंटे 48 मिनट से बढ़कर 2019–2021 के दौरान 2 घंटे 6 मिनट हो गई है।

–18 जनवरी 2022 को

सभा में भारतीय भाषाओं का प्रयोग

1. राज्य सभा की कार्यवाही में भारतीय भाषाओं का उपयोग 2018-2020 की 3 साल की अवधि के दौरान कई गुना बढ़ गया है, सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने नियमित रूप से सभा के सदस्यों से ऐसा करने का आग्रह किया है। 1952 में राज्य सभा के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार चार भाषाओं डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली का उपयोग किया गया है और अन्य छह भाषाओं जैसे असमिया, बोडो, गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और नेपाली का उपयोग लंबे अंतराल के बाद किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं, 21 अन्य अनुसूचित भारतीय भाषाओं (हिंदी के अलावा) का उपयोग वर्ष 2004-2017 के दौरान 14 साल की अवधि की तुलना में 2020 में प्रति बैठक पांच गुना (512%) से अधिक हो गया है।

2. 2019-2020 के दौरान 12 अवसरों पर संस्कृत का उपयोग करने के साथ ही, यह हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल के पश्चात् 22 अनुसूचित भाषाओं में से राज्य सभा में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली पांचवीं भाषा के रूप में उभर कर सामने आई है।

-16 नवंबर 2021 का प्रेस नोट

3. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम राज्य सभा की स्थापना के बाद से 67 वर्षों में शून्यकाल के दौरान संथाली में बोलने वाली पहली सदस्य बन गई हैं।

-6 दिसंबर 2019 को

4. शून्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश से भाजपा के एक सदस्य श्री अजय प्रताप सिंह ने बघेली भाषा में बोलते हुए इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की, इस अनुसूची में ऐसी अनुसूचित भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

-8 जुलाई 2018 को

5. राज्य सभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु, जो सभा की कार्यवाही में भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रबल समर्थक हैं, ने संक्षेप में 10 भाषाओं में बोला। उन्होंने सदस्यों को सूचित करने के लिए बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम,

मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में बात की ताकि सदस्यों को पता चल सके कि संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी में भी बोलने पर युगपत् भाषांतरण सेवा उपलब्ध कराई गई है।

–18 जुलाई 2018 को

अन्य

1. 2019 की तुलना में 2020 में राज्य सभा सचिवालय में हिंदी का उपयोगकई गुना बढ़ गया है। सचिवालय द्वारा आवेदनों/अभ्यावेदनों के लिए हिंदी में दिए जाने वाले उत्तरों में तीन गुना वृद्धि हुई है, जबकि हिंदी में निविदा सूचनाएं जारी करने में 36% सुधार हुआ है।

–22 अक्टूबर 2021 की समीक्षा के अनुसार

2. डॉ. परसाराम पट्टाभि केशव रामाचार्युलु को राज्य सभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, जो 70 वर्षों में सचिवालय में सीधी भर्ती से आने वालों में से ऐसे प्रथम व्यक्ति थे।

–31 अगस्त 2021

3. राज्य सभा की पहली बार सदस्य बनीं श्रीमती कहकशां परवीन ने सभा के प्रश्नकाल की अध्यक्षता की, जो कि अपनी तरह का प्रथम दृष्टांत था। वह उस समय राज्य सभा के उपसभाध्यक्षों के पैनल की एकमात्र महिला सदस्य थीं।

–20 जुलाई 2018 को

4. राज्य सभा के सभापति के रूप में श्री एम. वेंकैया नायडु के पदभार ग्रहण करने के बाद से मीडिया के माध्यम से राज्य सभा के कार्यकरण के बारे में लोगों तक पहुंच में 400% से अधिक की वृद्धि हुई है। उनमें से अधिकतर सभा के कार्यकरण के संबंध में किए गए व्यापक शोध, सभा की संरचना में बदलाव, विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों के कार्यकरण, सभा की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी, सभा की उत्पादकता, प्रश्नकाल समय का उपयोग, सभा के कार्यकरण में सुधार के लिए सभापति की समुक्तियों और उद्बोधनों आदि पर आधारित थे।

–27 अक्टूबर 2021 की समीक्षा पर आधारित

5. राज्य सभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने सचिवालय में कार्य पद्धति में सुधार के लिए एक अध्ययन आरंभ करवाया है जिसका लक्ष्य एक दूरगामी दृष्टिकोण अपनाना है ताकि उभरती परिस्थितियों में सभा के कार्यकरण की साक्ष्य आधारित व्याख्या और सेवाओं के प्रभावी वितरण को सक्षम बनाया जा सके। यह सचिवालय के कामकाज में कार्य पद्धति की प्रभावशीलता की विस्तृत जांच के लिए आउटपुट और सेवा वितरण की बेहतर निगरानी के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान की गई विभिन्न पहलों के एकीकरण की मांग करता है। अध्ययन के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं; प्रोसेस री–इंजीनियरिंग, 12 डिवीजनों में से प्रत्येक द्वारा दिए जाने वाले आउटपुट/सेवाओं की मात्रा और वास्तविक वितरण, राज्य सभा की समितियों के कार्यकरण को बेहतर बनाने के उपाय, सभा और सचिवालय के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं और बारीकियों को समग्र रूप से समझने के माध्यम से उच्च पदों के लिए सचिवालय के अधिकारियों को समर्थ बनाकर नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाना, टीम भावना को बढ़ावा देना और योगदान देने की भावना, सभा के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर मीडिया के माध्यम से बेहतर संप्रेषण की पहुंच के लिए समन्वित प्रयास। यह अध्ययन डॉ. पी.पी.के. रामाचार्युलु, सलाहकार द्वारा कराया जा रहा है।

–30 दिसम्बर 2021 को

समितियों का प्रभावीकरण

• 1993 में विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों (डीआरएससी) की शुरूआत संसद के 24x7 कार्यकरण को सक्षम बनाने के अलावा संसद में सरकार के विधायी प्रस्तावों, नीतियों और कार्यक्रमों की जांच की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख पहल थी।

• 24 डीआरएससी में से 8 राज्य सभा के अधिकार क्षेत्र में हैं और शेष लोक सभा के अधिकार क्षेत्र में हैं।

• गृह कार्य संबंधी समिति की अध्यक्षता करने और इन समितियों की सीमाओं और क्षमता से अवगत होने के बाद, श्री एम. वेंकैया नायडु ने अगस्त 2017 में पदभार ग्रहण करने के बाद से डीआरएससी के कार्यकरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है।

• 1993 में इन समितियों की स्थापना के बाद पहली बार, श्री एम. वेंकैया नायडु ने इन समितियों के कार्यकरण का आकलन शुरू किया है और इस संबंध में अपनी चिंताओं के बारे में और समय-समय पर उनके कार्यकरण में बदलाव सुनिश्चित करने के अलावा स्थापित किए गए नए मानदंडों को प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में बताते रहे हैं।

• पहले चरण में श्री वेंकैया नायडु ने इन समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों से आह्वान किया कि इन समितियों की बैठकों में उपस्थिति और औसत अवधि को बढ़ाकर सुधार सुनिश्चित करें।

• वांछित सुधार के मद्देनजर, सभापति ने बाद में डीआरएससी के अध्यक्षों से लिखित रूप में आग्रह किया कि वे इन समितियों की प्रत्येक बैठक के लिए 2 घंटे 30 मिनट की औसत अवधि और 50% सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जिससे नए मानक स्थापित हों।

• श्री एम. वेंकैया नायडु ने डीआरएससी के कार्यकरण की नियमित रूप से समीक्षा की है और अच्छा प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन देने और अन्य को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सभी के लाभ हेतु प्रत्येक सत्र की आरंभिक उद्गारों और समापन उद्गारों में निष्कर्षों को साझा किया है।

• डीआरएससी का गठन हर साल सितंबर में एक वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं जिनमें 10 राज्य सभा से और 21 लोक सभा से होते हैं।

• राज्य सभा की विभाग संबंधी 8 स्थायी समितियों ने 30 जून 2022 तक कुल 558 बैठकें की हैं, और जिनकी 5 वर्ष के दौरान औसत अवधि 2 घंटे से अधिक है और इनमें से प्रत्येक बैठक के लिए औसत उपस्थिति 45% से अधिक है। 369 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

• इन समितियों ने वर्ष 2016–2017 की तुलना में 2019–2020 के दौरान प्रत्येक बैठक की औसत अवधि में 20% से अधिक का सुधार दर्ज किया है।

• वर्ष 2019–2020 के दौरान औसत उपस्थिति 49% थी, जबकि 2016–2017 के दौरान यह लगभग 47% थी। अगर 2018–2019 चुनावी वर्ष नहीं होता और मार्च 2020 से कोविड–19 महामारी फैली नहीं होती तो उपस्थिति काफी बेहतर हो सकती थी।

• वर्ष 2016–2017 तक संसद सदस्य डीआरएससी की बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष यात्रा भत्ते के हकदार थे, जिसे 1 अप्रैल 2018 से वापस ले लिया गया था। यह अनुमान लगाया गया कि इस भत्ते को वापस लेने से समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

• तथापि, सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु के कहने पर किए गए एक अध्ययन से पता चला कि भत्ता वापस लेने से सदस्यों की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जैसा कि अनुमान लगाया गया था। 8 समितियों ने वर्ष 2016–2017 के दौरान लगभग 47% की तुलना में वर्ष 2019–2020 के दौरान 49% की औसत उपस्थिति दर्ज की।

• इन 8 समितियों ने विभिन्न मुद्दों पर कुल 369 प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किए हैं जिनमें उन्हें सौंपे गए विधेयकों, विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों और अन्य चयनित मुद्दे शामिल हैं।

• राज्य सभा के सभापति के रूप में श्री एम. वेंकैया नायडु के कार्यकाल की मुख्य विशेषताओं में डीआरएससी के कार्यकरण में वांछित सुधार और उन सुधारों को रिपोर्ट किए जाने पर ध्यान केंद्रित करना रहा है।

महामारी का सामना करना

• जनवरी 2020 में भारत में नोवेल कोरोना वायरस का पता लगने, इसका तेजी से प्रसार होने और उसके बाद इस महामारी ने संसद के सत्रों के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया।

• उस समय चल रहे संसद के बजट सत्र (राज्य सभा का 251वां सत्र) की मार्च 2020 में आठ बैठकें कम करनी पड़ीं।

• सत्र के दौरान संसद सदस्यों और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को देखते हुए, राज्य सभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु और लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आदि के अलावा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों सहित सभी संबंधितों के साथ कई दौर की चर्चा की।

• सत्र शुरू होने से पहले संसद सदस्यों और दोनों सचिवालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों के कोरोना जांच के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी।

• वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार किया गया और इसे राज्य सभा के 252वें सत्र (संसद का मानसून सत्र 2020) से लागू किया गया।

• सदस्यों की सुविधा और जनता के लिए सीधे प्रसारण हेतु राज्य सभा चैंबर में बड़े टीवी स्क्रीन के अलावा बड़ी संख्या में आरएसटीवी और एलएसटीवी के कैमरे लगा कर राज्य सभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी।

• सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण हैं मॉक सत्र आयोजित किए।

• पहली बार राज्य सभा और लोक सभा ने 2020 के मानसून सत्र के दौरान और 2021 के बजट सत्र के पहले भाग में कम कार्यात्मक समय के साथ

पाली में अपनी बैठकें आयोजित कीं। 2021 के शीतकालीन सत्र और 2022 के बजट सत्र के पहले भाग के लिए भी इस व्यवस्था का अनुसरण किया गया। शेष सत्रों के लिए, सदस्यों के बैठने के लिए राज्य सभा के कक्षों और दीर्घाओं का उपयोग किया गया। 2020 में संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हुआ।

• सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए, सदस्यों के बैठने की व्यवस्था कर, स्थिति को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को बैठकर बोलने की अनुमति दी गई।

• अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रयोग करके राज्य सभा के कक्षों को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त और निष्क्रिय करने की भी व्यवस्था की गई।

• सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए राज्य सभा की प्रेस गैलरी में प्रवेश पाने वाले मीडिया कर्मियों की संख्या को भी कम कर दिया गया।

• राज्य सभा के 252वें से 256वें सत्रों अर्थात् पांच सत्रों के लिए कोविड प्रोटोकॉल लागू किया गया था।

• महामारी के कारण, 251वें सत्र अर्थात् 2020 के बजट सत्र से शुरू होकर, राज्य सभा की 26 बैठकें नहीं हो पाईं।

कार्यात्मक भूमिका निभाना

धन विधेयकों को छोड़कर राज्य सभा विधान संबंधी सभी मामलों में लोक सभा के बराबर है। यह लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों में संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकृत कर सकती है। दोनों सभाओं के बीच विधेयकों के पारित होने में मतभेद की स्थिति में गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। सितंबर 2017 के बाद से, राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा पारित 14 विधेयकों में संशोधन किए हैं और जिन्हें लोक सभा द्वारा स्वीकार किया गया है। इन संशोधित विधेयकों में से अधिकांश ने संबंधित विषयों पर राज्यों की चिंताओं को प्रस्तुत किया।

2. राज्य सभा द्वारा संशोधित और लोक सभा द्वारा स्वीकार किए गए विधेयकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018, स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2018, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019, मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019, महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2021, गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021, बांध सुरक्षा विधेयक, 2021 तथा सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021

सभापति के विनिर्णय

• राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम एक व्यवस्थित रीति से राज्य सभा के कार्यकरण हेतु रूपरेखा निर्धारित करते हैं। सभा के कार्यकरण को सुचारू और सक्षम बनाने के लिए प्राप्त अनुभव और अनुभूत आवश्यकता के आधार पर इन नियमों को बनाने के साथ-साथ विकसित और संशोधित किया गया।

• इन नियमों के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी सभा की कार्यवाही के दौरान सामने आई परिस्थितियों और उठाए गए मुद्दों के आधार पर समय-समय पर विनिर्णय देते हैं और समुक्तियाँ करते हैं। इस तरह के विनिर्णयों और समुक्तियों में कार्यवाही के व्यवस्थित संचालन के लिए सदस्यों द्वारा अनुपालनीय पूर्वोद्धरण और परंपरा स्थापित करने की शक्ति निहित होती है।

• सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने राज्य सभा के 256वें सत्र के अंत तक 65 विनिर्णय दिए है और समुक्तियाँ की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. संबंधित सदस्यों के निलंबन के माध्यम से सभा में अलोकतांत्रिक आचरण के निरनुमोदन को अलोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है।

2. यदि कोई सदस्य सभापीठ की अवज्ञा करता है, तो उस सदस्य द्वारा उठाया गया पूरा मुद्दा कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा।

3. उद्देश्यों और कारणों का कथन, विधेयक का हिस्सा नहीं होते हैं।

4. सरकार केवल सभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगन की सिफारिश कर सकती है, जबकि ऐसा करने के लिए अंतिम निर्णय सभापीठ का होगा।

5. सदस्यों को सभा से संबंधित ड्यूटी को कारण बताते हुए किसी भी जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत होने से बचना नहीं चाहिए।

6. दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब सभा में महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जानी हो तो उनके सदस्य वहाँ उपस्थित हों।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति का कारण वैध होना चाहिए।

8. सदस्यों को सभा में दल का चुनाव चिह्न धारण करने से बचना चाहिए।

9. किसी मंत्री के लिए किसी अन्य मंत्री की ओर से वक्तव्य देने के लिए सभापीठ की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

10. जो सदस्य नोटिस देकर अनुपस्थित रहे हैं उन्हें एक और सप्ताह के लिए ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा।

11. मीडिया को अन्य बातों की सुर्खियां बनाने के बजाय सभा में चल रही चर्चा और बहस पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति का चार्टर

सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने राज्य सभा के बेहतर कार्यकरण हेतु 10 सूत्री चार्टर का निम्नानुसार सुझाव दिया है :

1. सभा की बैठक अब एक वर्ष में लगभग 60-70 दिन होने के संदर्भ में बैठकों की संख्या की पर्याप्तता;

2. सभा के वर्तमान कार्य संबंधी नियमों की पर्याप्तता और आवश्यक परिवर्तन, यदि कोई हो;

3. सदस्यों के लिए विधायी प्रस्तावों पर अपने विचार प्रस्तुत करने और लोक हित के मुद्दों को उठाने के लिए वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता;

4. सभा में वर्तमान में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता;

5. वाद-विवादों में सदस्यों की समान और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित मानदंडों का पालन;

6. यह सुनिश्चित करना कि सही पृष्ठभूमि और वाद-विवाद को समृद्ध बनाने की क्षमता रखने वाले सदस्यों को सभा में भेजा जाए;

7. सभा के व्यवस्थित कार्यकरण हेतु कार्य संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों की ओर से आत्म-अनुशासन सुनिश्चित करना;

8. सभा में वाद-विवाद में सुनिश्चित योगदान को यथोचित करने हेतु सदस्यों को अवसरंचना संबंधी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता;

9. सभा की कार्यवाही के दौरान और विभाग संबंधित स्थायी समितियों और सभा की अन्य समितियों की बैठकों में सदस्यों की पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित करना; तथा

10. सदस्यों के कामकाज में सुधार करने एवं सभा की कार्यवाही के अधिक जीवंत संचालन हेतु नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाना।

-26 नवंबर 2020 को

संविधान में संशोधन

- संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक विशेष बहुमत और ऐसे संशोधनों के निहितार्थ को देखते हुए, संविधान संशोधन विधेयक विशिष्ट महत्व रखते हैं।

- राज्य सभा ने ऐसे चार संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जो बाद में श्री एम. वेंकैया नायडु के सभापतित्व में 256वें सत्र तक संसद के अधिनियम बने, जैसा निम्नलिखित हैं:

1. **संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक**, 2018, जो संविधान (एक सौ दोवाँ संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

2. **संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक**, 2019, जो संविधान (एक सौ तीनवाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान करता है।

3. **संविधान (एक सौ छब्बीसवाँ संशोधन) विधेयक**, 2019, जो संविधान (एक सौ चारवाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाता है।

4. **संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक**, 2021 जो संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 के अधीन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को 5 मई 2021 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने और उसके अनुरक्षण हेतु सक्षम बनाता है।

राज्य सभा द्वारा पारित प्रमुख विधेयक

(2017-2022)

क्रम सं.	विधेयक का शीर्षक	सत्र जिसमें पारित किया गया
1.	भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018	246 वाँ
2.	राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018	246 वाँ
3.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019	249 वाँ
4.	अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019	249 वाँ
5.	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019	249 वाँ
6.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019	249 वाँ
7.	मजदूरी संहिता, 2019	249 वाँ
8.	जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019	249 वाँ
9.	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019	249 वाँ
10.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019	250 वाँ
11.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019	250 वाँ
12.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019	250 वाँ
13.	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2019	251 वाँ
14.	प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020	251 वाँ
15.	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020	252 वाँ
16.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020	252 वाँ
17.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020	252 वाँ
18.	महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2021	253 वाँ
19.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021	253 वाँ
20.	राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2021	253 वाँ
21.	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021	253 वाँ
22.	अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021	254 वाँ
23.	सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021	255 वाँ
24.	सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021	255 वाँ
25.	बांध सुरक्षा विधेयक, 2021	255 वाँ

सुधार और अन्य पहलें

व्यवस्था में सुधार

1. सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने एक पारदर्शी, निगरानी योग्य और जवाबदेह तरीके से त्वरित निर्णय लेने और सेवाओं के वितरण को सक्षम करने के लिए जनवरी 2022 में 'व्यवस्था सुधार' के लिए राज्य सभा सचिवालय के कार्यकरण की पहली व्यापक समीक्षा की। डॉ.पी.पी.के.रामाचार्युलु, सलाहकार और पूर्व महासचिव, जिन्हें यह अध्ययन कार्य सौंपा गया था, ने 5 जुलाई 2022 को यह रिपोर्ट सभापति को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के सुपरिभाषित प्रत्यायोजन, राज्य सभा और सचिवालय के कामकाज के विभिन्न पहलुओं के प्रमाणीकरण, विभिन्न सेवाओं और अनुभागों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त कार्यभार, कार्य के दोहराव से बचने और कार्य में सुसंगतता को बढ़ावा दिए जाने हेतु सचिवालय के 64 अनुभागों को 14 प्रभागों में पुनर्गठित करना, समयबद्ध स्थानान्तरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उच्च पदों के लिए अधिकारियों को तैयार करने, सकारात्मक कार्य वातावरण और सौहार्द की भावना आदि को बढ़ाने से संबंधित दूरगामी सिफारिशें आदि की गई हैं।

नियमों में सुधार

2. संसद सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु द्वारा राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों में संशोधन की सिफारिश करने के लिए गठित एक दो सदस्यीय नियम समीक्षा समिति (आरआरसी) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे आगे के विचार हेतु सामान्य प्रयोजन समिति (जीपीसी) को सौंप दिया गया है।

प्रौद्योगिकी अपनाना

3. संसद सदस्यों को 1 जनवरी 2019 से उनके आवास पर एमटीएनएल की ओर से वाई-फाई सुविधा के साथ हाई स्पीड ब्रॉड बैंड 'फाइबर टू द होम (एफटीटीएच)' सेवा प्रदान की गई।

4. वर्ष 2019 के मानसून सत्र के दौरान 'ई–नोटिस' पोर्टल के माध्यम से सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई थी और अब प्रश्न प्रपत्रों की छपाई को समाप्त करके इस तरह की 85% सूचनाएँ ऑनलाइन ही प्राप्त की जा रही हैं।

5. फाइलों के भौतिक रख–रखाव जिसके परिणामस्वरूप कागज के रूप में बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकरण होता है, से बचने हेतु ई–ऑफिस सूट आरंभ किया गया है जो आसान खोज और संदर्भ प्रक्रिया को भी सक्षम बनाता है। वीपीएन एक्सेस ने लॉकडाउन और महामारी जनित अन्य व्यवधानों के दौरान निर्बाध कार्य को सक्षम बनाया है।

6. राज्य सभा के वृत्तलेखकों ने बैकअप के रूप में कैसेट डेक पर टेप रिकॉर्ड करने के बजाय सभा की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए वॉयस रिकॉर्डर का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

7. 252 वें सत्र से संसदीय पत्रों और 253 वें सत्र से आमंत्रण (समन) के भौतिक परिचालन को समाप्त करने के लिए सदस्यों के पोर्टल पर संसदीय पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक संचरण की शुरुआत की गई है।

8. 256वें सत्र के दूसरे भाग से सभापति ने राज्य सभा के पटल पर पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की अनुमति दी है।

कोविड –19 सहायता

9. एक कोविड सहायता समूह का गठन किया गया जिसने कोविड–19 महामारी के दौरान कोरोना प्रभावित कर्मचारियों/अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को चौबीसों घंटे सहायता और सुविधा प्रदान की। प्रभावित लोगों को दवाएँ, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, दस्ताने, मास्क, पीपीई किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन परामर्श और किसी भी अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने में मदद की गई। राज्य सभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क कोविड–19 टीकाकरण की व्यवस्था की गई।

सदस्यों के मुद्दे

10. राज्य सभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों द्वारा रेलवे टिकटों की बुकिंग को सरल बनाने के लिए और कई रेल टिकटों की बुकिंग से बचने के लिए, उन्हें 2019 में ऐसी सभी बुकिंग रद्द करने की सलाह दी गई है, जिनका पहले से उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है। ऐसी बुकिंग को रद्द न किए जाने की स्थिति में, सदस्यों को ऐसी बुकिंग के किराए की प्रतिपूर्ति करनी होती है।

11. पूर्व पेंशनभोगी सदस्य के निधन पर, उसके पति/पत्नी/आश्रित को कठिनाइयों से बचने के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणीकरण की पूर्ववर्ती अपेक्षा के बजाय अब एक द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

12. राज्य सभा के वर्तमान सदस्य और उनके पति/पत्नी को अब लोक सभा की तर्ज पर स्मार्ट सुरक्षा सुविधा युक्त पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं।

प्रशासनिक मामले

13. सचिवालय में 17 अगस्त 2018 से कार्य समय के दौरान अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) शुरू की गई।

14. समीक्षा और विसंगति समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए 14 अगस्त 2020 को समेकित भर्ती एवं सेवा शर्ते आदेश अर्थात राज्य सभा सचिवालय (भर्ती की पद्धति और नियुक्ति हेतु अर्हता) आदेश, 2020 जारी किया गया था। दिनांक 01.01.2020 से समय आधारित प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन योजना को कैरियर प्रोग्रेशन योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

15. स्टेशनरी और अन्य संबंधित वस्तुओं की खरीद में अधिक पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता लाने हेतु विभिन्न कार्यालयों और अनुभागों से स्टेशनरी/सेनेटरी और अन्य संबंधित वस्तुओं के अनुरोध की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए स्टोर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (एसआईएमएस) शुरू किया गया है।

औपनिवेशिक प्रथाओं को समाप्त करना

16. सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने 15.12.2017 को सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा के पटल पर पत्रों को रखते समय 'बेग' ('beg') शब्द का प्रयोग न करें।

17. सभापति ने 06.02.2018 को यह सुझाव दिया कि सदस्यों या आम जनता को उप राष्ट्रपति/सभापति को सम्बोधित करते समय 'महामहिम' (योर एक्सीलेंसी) वाक्यांश का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और वे इसके स्थान पर केवल 'माननीय उप राष्ट्रपति/सभापति' का उपयोग करें। उसी दिन उन्होंने यह घोषणा की कि सदस्य 'योर्स फेथफुली' के स्थान पर 'योर्स सिंसियरली' शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।

सोशल मीडिया संबंधी चिंताओं को संबोधित करना

18. सभापति, राज्य सभा ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के चिंताजनक मुद्दे और बच्चों एवं समाज पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 5 दिसंबर 2019 को एक तदर्थ समिति के गठन की घोषणा की। श्री जयराम रमेश की अध्यक्षता में गठित 14 सदस्यीय समिति ने 3 फरवरी 2020 को सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

हरित परिवहन

19. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ और हरित उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए, सदस्यों की आवाजाही हेतु दो टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक कारों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

युगपत् भाषांतरण

20. राज्य सभा के सदस्यों को सभा में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में बोलने हेतु सक्षम बनाने के लिए युगपत् भाषांतरण सेवा की शुरुआत की गई है।

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड़, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।